

## आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 128/2012

तारकेश्वर नाथ सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	<p>यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 3330, दिनांक 11.10.2012 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 11.09.2012 को तारकेश्वर नाथ सिंह, ज०वि०प्र०वि० अनु०सं० 43/07, पंचायत-हथिसार, प्रखंड-मढौरा के व्यापार स्थल की जांच की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विक्रेता की दूकान से संबद्ध अन्वोदय कूपनधारी उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि विगत तीन माह के विरुद्ध दो माह के खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है। विक्रेता के द्वारा अन्वोदय योजना अन्तर्गत 25 किलो खाद्यान्न की आपूर्ति कर 90 रुपया लिया जाता है।</li> <li>2. विक्रेता की दूकान से संबद्ध किरासन तेल उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि विगत तीन माह के विरुद्ध दो माह के किरासन तेल प्रति उपभोक्ता 2.50 लीटर आपूर्ति कर 45 रुपया लिया जाता है।</li> </ol> <p>उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 3103, दिनांक 24.09.2012 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब दिया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।</p> <p>अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में कूपन के आधार पर निगरानी समिति के सदस्यों के</p>	





समक्ष अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है। उसके विरुद्ध ग्रामीण राजनीति की वजह से कुछ लोगों के द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर शिकायत की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरुद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा की गई शिकायतों से प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसके लिए उनका अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के विरुद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विक्रेता से प्राप्त जवाब से उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता है। काफी संख्या में उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरुद्ध दिया गया लिखित बयान यह सिद्ध करता है कि विक्रेता के द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। अपीलार्थी के द्वारा बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं विभागीय दिशा निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, मैं अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 3330, दिनांक 11.10.2012) में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन दिनांक 18.10.2012 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

ज्ञापांक..... 34/सू(ज)/.../न्या०, दिनांक... 22/8/15...../

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।



वरीय उप समाहर्ता  
जिला विधि शाखा  
सारण, छपरा।

22/8/15